पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 11 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

- उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 31–12–2010, सपठित शासनादेश दिनांक 03–12–2013 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध निम्नांकित प्राविधान है :–

11.03.03–प्राचार्य पद हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड–

(क) **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हो (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)**
(ख) **सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित ।**
(ग) **सह आचार्य (उपाचार्य)/आचार्य, जिसका उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/ शोध/प्रशासन का अनुभव हो।**
(घ) **न्यूनतम प्राप्तांक परिशिष्ट घ की तालिका 1–6 में, निर्दिष्ट शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) में उल्लिखित है।'**
' परिशिष्ट घ की तालिका 1–6 में, निर्दिष्ट शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) 400 निर्धारित है।

- अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण समस्त अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य हेतु उपर्युक्त निर्धारित अर्हता के अनुरूप प्राचार्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
- प्राचार्य की उपलब्धता न होने के कारण राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की सम्बद्धता को बनाये रखने पर आपत्ति की जा रही है, जिसके कारण अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को संचालित किये जाने में प्रायोजक संस्थाओं को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
- अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को संचालित करने में प्रायोजक संस्थाओं के समक्ष आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के आधार पर शासनादेश दिनांक 31–12–2010, सपठित शासनादेश दिनांक 03–12–2013 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों में परिनियम संख्या–11.03.03 में परन्तुक के रूप में शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2018 अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की

उपधारा 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित प्राविधान सम्मिलित किया गया है :–

अनानुदानित / स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हो (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)

(ख) सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध / सहबद्ध / सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित ।

(ग) उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन / शोध / प्रशासन का अनुभव हो।

- अनानुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य हेतु परिनियम संख्या–11.03.03 के परन्तुक में निर्धारित उपर्युक्त अर्हता के बिन्दु (ख) में ''सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध / सहबद्ध / सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन'' सम्मिलित है। शासन के संज्ञान में आया है कि अनानुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों मे ''प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन'' की अर्हता धारक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
- वर्णित स्थिति में अनानुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य हेतु परिनियम संख्या–11.03.03 के परन्तुक में निर्धारित उपर्युक्त अर्हता के बिन्दु (ख) में ''सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध / सहबद्ध / सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन'' के स्थान पर मात्र ''सम्बन्धित संस्था मे सम्बद्ध / सहबद्ध / सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि'' किये जाने की आवश्यकता है।
- राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों में परिनियम संख्या–11.03.03 में शासनादेश दिनांक–06 अगस्त, 2018 द्वारा परन्तुक के रूप में अनानुदानित / स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं के सम्बन्ध में जोड़े गये प्राविधान के बिन्दु (ख) में ''सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध / सहबद्ध / सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन'' के स्थान पर मात्र ''सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध / सहबद्ध / सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि'' किये जाने हेतु आंशिक संशोधन का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा 6 के अन्तर्गत उक्तानुसार संशोधन की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। शासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य हेतु अर्हता एवं चयन प्रकिया यथावत रहेगी।
- शासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य हेतु अर्हता एवं चयन प्रकिया यथावत रहेगी।
- प्रस्ताव में कोई वित्तीय भार निहित नहीं है।

जनपद बागपत में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार के पक्ष में भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव अनुमोदित

केन्द्र सरकार के स्थानान्तरित कर्मचारियों जिनमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति प्रदान करने, शिक्षा के क्षेत्र में नये–नये प्रयोग तथा नवाचारों को सम्मिलित करने एवं बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना जनपद–बागपत में किया जाना है। जिलाधिकारी, बागपत द्वारा ग्राम–औरंगाबाद जटौली, परगना व तहसील–बड़ौत, जिला–बागपत स्थित खाता संख्या–221 के खसरा संख्या–281 रकबा 0.0560 हे0 व खसरा संख्या–282/1 रकबा 1.9680 हे0 अर्थात् कुल 2.0240 हे0 भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के पक्ष में पुनर्ग्रहण कर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कर नकल खतौनी उपलब्ध करायी गयी है।

सिविल क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु मानकानुसार न्यूनतम 5.00 एकड़ की भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके सापेक्ष जिलाधिकारी, बागपत द्वारा 5.001429 एकड़ निःशुल्क भूमि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के पक्ष में उपलब्ध करायी गयी है।

राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी गयी है, एवं जिसे भारत सरकार के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाना है।

अतः जनपद–बागपत के परगना व तहसील–बड़ौत, ग्राम–औरंगाबाद जटौली में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि भारत सरकार के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन अपेक्षित है।

जनपद गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को स्वीकृति

- प्रदेश में विस्तृत क्षेत्रफल, विशाल आबादी के दृष्टिगत विभिन्न स्तरों की 18 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति हुई है, जिसमें जनपद गाजियाबाद, कन्नौज एवं आगरा में श्रेणी-ए तथा जनपद इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद एवं वाराणसी मे श्रेणी-बी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया था।
- जनपद गोरखपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराधों की संख्या एवं प्रकृति तथा थानों की संख्या एवं प्रदेश की व्यापक आवश्यकताओं के दृष्टिगत श्रेणी-बी से श्रेणी-ए में उच्चीकृत कर दिया है।
- वर्तमान में निर्माणाधीन संरचना में 08 अनुभाग तथा श्रेणी-ए के लिए अवशेष 04 अनुभागों को अलग भवन परिसर में उपलब्ध भूमि में निर्माण कराया जाएगा, जिसकी कार्यवाही पृथक से की जा रही है।
- प्रदेश में वर्तमान में 04 विधि विज्ञान प्रयोगशालायें लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एव वाराणसी में स्थित हैं।
- जनपद गोरखपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
- जनपद गोरखपुर में प्रस्तावित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन के पुनरीक्षित निर्माण कार्यों हेतु रू0 3321.14 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया है।
- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्ताव में प्रयुक्त विशिष्टियां यथा एल्युमीनियम एक्सट्रुडेड ट्यूबलर, विजन ग्लास पैनल, ए0सी0पी0 पैनलिंग एवं फाल्स सीलिंग के प्रावधान, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टयों से उच्च हैं, के प्रयोग पर मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट की अनुबन्ध आधारित सेवाएं प्राप्त करने हेतु इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित

प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबन्ध के आधार पर सेवायें प्राप्त करने हेतु उक्त तीनों श्रेणी के कन्सल्टेन्ट्स की पारिश्रमिक, डीए एवं लॉजिंग की दरों के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट पारदर्शी ई–निविदा आमंत्रित कर किया गया है। इम्पैनल्ड संस्थाओं द्वारा समस्त कन्सल्टेन्ट रिसोर्सेस तथा लॉजिंग एवं डीए की प्रत्येक श्रेणी के लिये प्राप्त न्यूनतम दर (एल–1) पर सभी इम्पैनल्ड संस्थाओं से प्रत्येक श्रेणी के लिये एल–1 दरों पर कार्य करने की सहमति प्राप्त की गयी है। विभिन्न विकास विभागों में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के समयबद्ध तथा गुणवत्तापरक क्रियान्वयन में सहयोग हेतु कन्सल्टेन्ट की सेवायें प्राप्त की जायेंगी। विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सम्बन्धित विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी कार्य हेतु एक निश्चित अवधि के लिये सेवायें प्राप्त कर सकेंगे।

‘एक जनपद एक उत्पाद’ कार्यक्रम के अन्तर्गत
<u>वित्त पोषण हेतु सहायता योजना को मंजूरी</u>

➢ **योजना का वित्त पोषण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :–**

(1.) योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरूद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

(2.) योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25%, अधिकतम रू0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

(3.) रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20%, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

(4.) रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 15%, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

(5.) रू0 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10%, अधिकतम रू0 20.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

(6.) उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।

(7.) सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

➢ **<u>पात्रता की शर्ते</u> :**

(1.) आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

(2.) शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।

(3.) योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।

(4.) आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।

(5.) आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।

(6.) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।

(7.) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

(8.) विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

➢ **चयन की प्रक्रिया :**

(1.) लाभार्थी का चयन निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) के माध्यम से किया जाएगा :–

(क) जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष)

(ख) अग्रणी बैंक के जिला प्रबन्धक (सदस्य)

(ग) वित्त पोषण करने वाले प्रमुख बैंकों के जिला समन्वयक (सदस्य)

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि (सदस्य)

(ड़) जनपद के चयनित उत्पाद से सम्बन्धित विभागीय अधिकारी (सदस्य)

(च) उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र (सदस्य सचिव / संयोजक)

(2.) उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सम्यक परीक्षण के उपरान्त टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3.) जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।

(4.) टास्क फ़ोर्स समिति द्वारा योजना की उपयोगिता, आर्थिक संभाव्यता (**viability**) इत्यादि बिन्दुओं के सम्यक परीक्षण के उपरान्त लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

➢ **वित्त पोषण की प्रक्रिया :**

(1.) जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति के क्रमवार रजिस्टर में क्रमवार अंकित किया जाएगा एवं उक्तानुसार समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(2.) साक्षात्कार हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाएगी।

(3.) लाभार्थी के चयन के उपरान्त 07 दिन के अन्दर लाभार्थी का आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जाएगा।

(4.) लाभार्थी का आवेदन पत्र बैंक शाखा में प्राप्त होने के 01 माह के अन्दर शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण स्वीकृति / अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। स्वीकृत / अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में बैंक शाखा द्वारा तत्काल जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को सूचित किया जाएगा।

(5.) बैंक शाखा से ऋण स्वीकृति के उपरान्त नये लाभार्थियों को न्यूनतम एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे–राजकीय पॉलिटेक्निक / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / RSETI / उद्यमिता विकास संस्थान इत्यादि के माध्यम से कराया जाएगा। पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएगा।

(6.) स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षणोपरान्त सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जाएगी।

(7.) प्रशिक्षण के उपरान्त 01 माह के अन्दर सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा ऋण की प्रथम किश्त लाभार्थी को वितरित कर दी जाएगी।

(8.) ऋण की प्रथम किश्त के वितरण के पश्चात 07 दिन के अन्दर वित्त पोषण करने वाली शाखा द्वारा वांछित मार्जिन मनी के दावे सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा दावा प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर मार्जिन मनी की धनराशि बैंक शाखा / लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

'भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना प्राधिकरण'
के पीठासीन अधिकारी के सम्बन्ध में

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 सितंबर, 2013 द्वारा "भूमि अर्जन अधिनियम 1894" को निरसित करते हुए "भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013" (अधिनियम संख्या 30 सन 2013) प्रख्यापित किया गया है, जो दिनांक 01-01-2014 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा-51 में किए गए प्राविधान के अंतर्गत 13 "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" की स्थापना की गयी है।

2- उक्त प्राधिकरणो में पीठासीन अधिकारी और रजिस्ट्रार के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों के पदो का सृजन शासनादेश संख्या 163/ एक-13-2016-7क(6)/ 2015 दिनांक 19-02-2016 द्वारा किया गया है । उक्त शासनादेश के संलग्नक की तालिका-1 के क्रमांक-1 पर "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" हेतु पीठासीन अधिकारी के रूप में वेतनमान रु0 70290-1540-76450 में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सुपर टाइम स्केल में 13 पदों का सृजन किया गया।

3- महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 19-02-2016 के संलग्नक के तालिका-1 के क्रमांक-1 पर अंकित, प्राधिकरण हेतु पीठासीन अधिकारी के रूप में "उच्चतर न्यायिक सेवा का सुपर टाइम स्केल" पद के स्थान पर "जिला जज" को पीठासीन अधिकारी के रूप में संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" हेतु पीठासीन अधिकारी के रूप में "**उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सुपर टाइम स्केल**" के स्थान पर "**उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का जिला जज, जिन्होंने सुपर टाइम स्केल प्राप्त कर लिया हो**" को पीठासीन अधिकारी के रूप में संशोधित किए जाने का प्रस्ताव हैं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के वर्ष 2015–16 के लेखा परीक्षा वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 के तहत प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की लेखा परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा की जाती है, जिसमें विभाग द्वारा सम्पादित उप सम्परीक्षा/सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं विशेष सम्परीक्षा की महत्वपूर्ण आपत्तियॉं सम्मिलित हैं।

विभाग द्वारा "वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन" वर्ष 2015–16 तैयार किया गया है।

मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदनोपरान्त वर्ष 2015–16 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 'वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन' योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव अनुमोदित

वर्षा का अधिकांश जल बहकर नदी नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। उत्तर प्रदेश में तालाब प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण एवं भू–जल संवर्धन के सशक्त माध्यम रहे हैं और अभी भी परम्परागत रूप से निर्मित ये तालाब प्रदेश के सभी जनपदों में उपलब्ध है। इन बड़े तालाबों का सिल्टेशन होने के कारण इनकी जल संग्रहण एवं भूजल संवर्द्धन क्षमता समय के साथ क्षीण हो गयी है। इनके पुनर्विकास एवं प्रबन्धन हेतु वर्ष 2018–19 से एक नई योजना ''वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन'' प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 01 हे0 से 05 हे0 के परम्परागत रूप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन किया जायेगा।

भूगर्भ जल के स्तर में सुधार हेतु विभाग का एक अभिनव योजना राज्य भूजल संरक्षण मिशन लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत भू–जल मिशन के अन्तर्गत चिन्हित विकास खण्डों में कार्य कराया जायेगा। प्रत्येक तालाब पर जल प्रबन्धन, जल सुरक्षा तथा तालाब के संरक्षण एवं रख–रखाव हेतु पानी पंचायत का गठन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

तालाब के विकसित होने के उपरान्त इसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हैण्ड ओवर कर दिया जायेगा। तालाब के बन्धों पर प्लान्टेशन का कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पानी पंचायत के सहयोग से किया जायेगा। भविष्य में इसका एक बार रख–रखाव एवं आवश्यकता अनुसार डिसिल्टेशन का कार्य मनरेगा फण्ड से ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर नवस्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय

वर्तमान में प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज संचालित है, जिनमें 06 पुराने यथा मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी एवं 07 नवस्थापित मेडिकल कालेज, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बॉदा तथा बदायॅू सम्मिलित है। उक्त राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों के कुल 1844 पद सृजित है, जिसके सापेक्ष 878 नियमित चिकित्सा शिक्षक तथा 371 संविदा चिकित्सा शिक्षक कार्यरत है। इस प्रकार कुल 1249 पद भरे हुए है तथा 595 पद रिक्त है। उक्त 07 नवस्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों के कुल 660 पद सृजित है, जिसके सापेक्ष 218 नियमित व 127 संविदा चिकित्सा शिक्षक कार्यरत है, जबकि 315 पद रिक्त है, जिनमें से 151 पद प्रोफेसर के सृजित है, जिसके सापेक्ष 25 नियमित व 24 संविदा चिकित्सा शिक्षक कार्यरत है, जबकि 102 पद रिक्त है। नवस्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए देश एवं प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले प्रोफेसर्स को उक्त मेडिकल कालेजों में प्रोफसर (कन्सलटेण्ट) के रूप में रू0 2,20,000/– के नियत वेतन पर संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किया जाना है।

04 मेडिकल कॉलेजों में नवस्थापित/स्थापनाधीन सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय तथा सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, सी0जी0 सिटी, लखनऊ में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय

प्रदेश के निवासियों को अत्याधुनिक उच्च स्तरीय कैंसर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल का निर्माण लखनऊ में कराया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में संस्थान में अन्तः रोगी (Indoor) तथा शल्य सेवायें प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उच्चस्तरीय टर्शरी उपचार सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के 04 राजकीय मेडिकल कालेजों— गोरखपुर, मेरठ, झॉसी एवं इलाहाबाद में प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के अधीन विभिन्न विभागों की स्थापना की जा रही है। इन सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, सर्जिकल आंकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक एण्ड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, कार्डियोवेस्कुलर थोरेसिक सर्जरी, इण्डोक्रायनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स सर्जरी इत्यादि विभाग संचालित किये जाने है। प्रदेश के पूर्वाचंल एवं तराई क्षेत्र में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (A.E.S) एवं जापानी एन्सेफलाइटिस (J.E) की बीमारी की व्यापकता एवं बाल रोग के अन्य आयामों के दृष्टिगत बाल रोगियों को उच्चकोटि का समुचित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सालय का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष निर्धारित है। एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के अनुसार चिकित्सा शिक्षको की अधिवर्षता आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। नवस्थापित एम्स में शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स को अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक संविदा के आधार पर रू0 2,20,000/—प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। 04 मेडिकल कालेजों में निर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक, कैंसर संस्थान, लखनऊ तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्मित 500 बेडेड बाल चिकित्सालय में सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स को एम्स की व्यवस्था के समान ही रू0 2,20,000/—प्रतिमाह मासिक पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में 01 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किए जाने का फैसला

उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण निगमित निकाय है, जो अपनी आय–व्यय की व्यवस्था स्वयं करते हैं। उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2018 दिनांक 22.06.2018 को प्रभावी रूप से प्रवृत्त किये जाने हेतु सभी प्राधिकरणों में कार्मिकों को एक समान वेतन प्रदान किये जाने हेतु सांतवे वेतन आयोग की संस्तुति अन्य प्राधिकरणों में भी दिनांक 01.01.2016 से लागू किया जाना है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे, गीडा,सीडा, लीडा के बोर्ड बैठक द्वारा प्राधिकरण में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति को लागू किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्राधिकरण के कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से लागू किये जाने से उस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार प्राधिकरण अपने स्रोतों से वहन करेगा। इस हेतु राज्य सरकार से कोई सहायता न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में प्रदान की जायेगी।

उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2018 का प्रख्यापन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन,खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने और उसका साम्यिक वितरण तथा उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 का प्रख्यापन किया गया था।

2— उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर—8(7) में उचित दर दुकान के स्वामी द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में उसके अनुज्ञप्ति के निलम्बन एवं निरस्तीकरण के सम्बन्ध में पूरी प्रकिया का उल्लेख करने हेतु उक्त प्रस्तर में अतिरिक्त रूप से निम्नवत व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है:—

''किसी प्रकार की अनियमितता की जांच नामनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी और यदि उक्त जांच के आधार पर उचित दर विक्रेता का निलम्बन करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तो उचित दर विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण जांचकर्ता अधिकारी से कम से कम एक उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। यदि प्रारम्भिक जांच किसी जिला स्तरीय अधिकारी से करायी गयी है तो उचित दर विक्रेता के स्पष्टीकरण के उपरान्त उसका परीक्षण किसी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी से कराया जा सकेगा।''

3— इसी प्रकार उ0प्र0आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश,2016 के प्रस्तर 13(3) में उचित मूल्य की दुकान की अपील की सुनवाई हेतु सम्भागीय आयुक्त,संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त(खाद्य) के साथ—साथ सम्भागीय अपर आयुक्त को भी सुनवाई का अधिकार दिये जाने हेतु उ0प्र0आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश,2018 प्रस्तावित किया जा रहा है।

उ0प्र0 विधान सभा/विधान परिषद के वर्तमान सत्र के सत्रावसान के सम्बन्ध में

- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का वर्तमान सत्र दिनांक 23 अगस्त, 2018 को आहूत किया गया था। उक्त सत्र में विधान सभा एवं विधान परिषद् की बैठकें दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन के पश्चात् अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयी हैं। उक्त सत्र में विधान सभा/विधान परिषद् के 6-6 उपवेशन हुए।
- वर्तमान सत्र में वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण विधान मण्डल में प्रस्तुत किया गया तथा इससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक दोनों सदनों से पारित कराया गया । विधान मण्डल का वर्तमान सत्र आहूत किये जाने से पूर्व 06 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये थे। उक्त अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित हो गये हैं। विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में 07 नये विधेयक विधान सभा में पुरःस्थापित कराये गये, जिनमें से 06 विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गये हैं जबकि 01 विधेयक विधान परिषद् की प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015 में विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित 01 विधेयक संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा प्रेषित संदेश में सुझाये गये संशोधनों सहित विधान मण्डल के दोनों सदनों से पुनः पारित कराया गया।
- वर्तमान में विधान मण्डल से कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद् के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराया जाना प्रस्तावित है।

उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 का प्रख्यापन

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों यथा–नौएडा, ग्रेटर नौएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे, गीडा, सीडा, लीडा, यूपीसीडा एवं यूपीडा के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं में एकरूपता लाने यथा उनकी सेवा–शर्तें, पदनाम, वेतनमान एवं अन्य सम्बन्धित प्राविधानों को समान बनाये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 दिनांक 22.06.2018 को प्रख्यापित की गयी है।

यू.पी.एस.आई.डी.सी. के कार्मिकों को यूपीसीडा में संविलियन के पश्चात अब यूपीसीडा के कार्मिकों को उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 में सम्मिलित किये जाने हेतु उसकी अनुसूची–एक एवं तीन में अपेक्षित संशोधन किया जाना है। उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 से आच्छादित कार्मिकों के वेतन आदि पर आने वाले व्यय–भार का वहन सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा।

———————————

PN-CM-Cabinet Decision-11 September, 2018